



मास्टर प्लान के विपरीत गुलाब कोठारी व उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नक्शे में हेराफेरी कर औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय योजनाओं बनाने वाले भ्रष्टाचारीओ के विरुद्ध कारवाई की माँग

रिको मे आवासीय बंगले बनाकर जनता के जीवन खतरे मे व धोखाधड़ी करने वालो के विरुद्ध कारवाई होनी चाहिए




नगर पालिका की मिली भक्ति से मास्टर प्लान शिवगंज सुमेरपुर मे हेराफेरी कर गुलाब कोठारी के आदेश की धजिया उड़ाई जा रही है

औद्योगिक फैक्ट्री मे आवासीय करना ही नियमों के विपरीत है रिको की जगहों पर फ्लोट काटकर बंगला बनाकर जनता के जीवन खतरे डालने सम्बन्धित


उच्च न्यायालय गुलाब कोठारी के आदेशों की कब कारवाई करेंगे नहीं तो सैकड़ों लोगों की जान जाएगी

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज नगर पालिका में एक अनोखा खेल और चल रहा है शिवगंज भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है यह शहर पर कुछ भूमाफियाओं ने अपने फायदे के लिए भगवान शिव का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भगवान शिव का जहां नाम आता है वहां पर ईमानदारी से कार्य किया जाता है पर इन लोगों ने तो बेईमानी का काम पर भगवान शिव को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के बड़गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में कामबेश्वर रोड पर एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बन रही है जो राजस्थान सरकार से एफूड है पर इन्होंने सबको गुमराह करके यह स्वीकृत किया है क्योंकि यह योजना मास्टर प्लान रिंग रोड के बीच में है बीच में होकर मास्टर प्लान रिंग रोड निकल रहा है वह जोधपुर वरिष्ठ नगर नियोजन के अधिकारियों ने बड़ी रकम लेकर चेटिंग हुई है भूमाफियाओ व अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी पट्टा जारी कर दिया इसके कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा भाग ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर आता है पर भू माफियाओ व पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर इसके साथ घोटाला कर सड़क मास्टर प्लान जमीन को इधर-उधर कर यह प्लान स्वीकृत करवा दिया जो नहीं हो सकता क्योंकि मुख्य टाउन प्लानर जयपुर द्वारा पहले जिसकी जांच की गई रिंग रोड के बीच में होकर निकल रहा था पर भ्रष्टाचारी जोधपुर में इस प्लान को स्वीकृत कर दिया क्योंकि बड़ी रकम लिए जहां पर जमीन है वहां पर आज भी रिंग रोड निकल रहा है क्योंकि सड़क को इधर से उधर बताया जा सकता है पर मास्टर प्लान की सड़क इधर-उधर नहीं कर सकते 30 सालों के अंदर और जमीन को उधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो जमीन इस योजना के अंतर्गत बताई जा रही है वह जमीन वहीं पर है मास्टर प्लान रिंग रोड भी वहीं पर है सफ़िल भी वहीं पर है सर्कल का चारो तरफ का रेडियस 15 मीटर होता है वह वहां पर ही है जो इस जमीन के बीचों-बीच आता है पर उन्होंने वहां पर नहीं बताकर लोगों के साथ धोखा किया है इस जमीन के आगे बिलानाम सरकारी जमीन है जो साईज 200/ 200 वर्ग फिट जमीन आज भी पड़ी है उसके रास्ता में होगा इन्होंने योजनाओं में जाने का रास्ता भी दे दिया जमीन हो तो तुम जो रास्ता दे सकते हो सरकारी जमीन का रास्ता जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिया जाता है पर यह खुद हाईवे नंबर 14 था पर उन्होंने उसे हाईवे को 100 फीट सड़क बता दिया ऐसे कर दिया इन्होंने यह सड़क तो इन्होंने के द्वारा बनाया हुआ लगता है नेशनल हाईवे 14 जो 200 फीट चौड़ा सड़क है इसको 100 फिट बताना मतलब कितना गलत है वह इन्होंने प्रोजेक्ट के बीच में आवासीय बताना वह इसी रोड के किनारे पर वाणिज्य बताना कितना गलत है इस जमीन में जाने वाले रास्ते की मुख्य सड़क 60 फिट व पास की सड़क 40 फिट व फैसेलिटी पास ट्रांसफार्मर व पानी की टंकी मोबाइल टॉवर सहित औपन लैंड भूमि व फैसेलिटी व अन्य योजना कहां गई विधायक द्वारा उल्टे सीधे काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी सिर्फ उन्होंने अपना बड़ा कमीशन लेने वह शहर के पूर्व विधायक द्वारा उल्टे सीधे काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना क्योंकि विधायक के खासमखास की गिनती में आते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक काम किया है की शहर का सत्यानाश कैसे हो वैसे कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान में हेरा फेरी करना क्योंकि इसी बंगलो के पीछे पास में वह



आसपास में आज भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसका प्रदूषण इस जमीन में रहने वालों के लिए मुश्किल में जहरीला पदार्थ व धुआं से जीवन समाप्त कर देंगे क्योंकि प्रदूषण फैक्ट्री का जहरीला भी रिंग रोड के बीच में होकर निकल रहा था पर इनको कौन समझाए क्योंकि यह सेठ लोगों को सिर्फ धन चाहिए क्योंकि पहले तो मास्टर प्लान में हेरा फेरी कैसे कर दी क्योंकि मुख्य नगर नियोजन जयपुर स्वायत्त शासन मंत्री पूर्व शांति धारीवाल मुख्य नगर नियोजक पूर्व आर के विजयवर्गीय व जोधपुर वरिष्ठ नगर नियोजक ओम प्रकाश पारीक और यहां पर जो मास्टर प्लान बनाया था चुन्नीलाल जो लावण्य वाले शमाजी का दलाल था उसने इस जमीन मालिक से बड़ी रकम लेकर मास्टर प्लान में हेरा फेरी कर दी जहां पर फैक्ट्री थी वहां पर आवासीय बताना गुलाब कोठारी व हाई कोर्ट के आदेशों की धजिया उड़ाने का कार्य ही किया है इन्होंने गुलाब कोठारी / हाई कोर्ट के आदेश की धजिया उड़ाना शिवगंज नगर पालिका प्रशासन संपूर्ण रूप से दोषी है उसके बाद प्रशासन शहरों की और अभियान चालू होते ही इन भू माफियाओ ने मिलकर बड़ा झील किया है वहां इस जमीन का प्लान स्वीकृत कर दिया क्योंकि यह नेशनल हाईवे पुराना जो नेशनल हाईवे नंबर 14 था पर उन्होंने उसे हाईवे को 100 फीट सड़क बता दिया ऐसे कर दिया इन्होंने यह सड़क तो इन्होंने के द्वारा बनाया हुआ लगता है नेशनल हाईवे 14 जो 200 फीट चौड़ा सड़क है इसको 100 फिट बताना मतलब कितना गलत है वह इन्होंने प्रोजेक्ट के बीच में आवासीय बताना वह इसी रोड के किनारे पर वाणिज्य बताना कितना गलत है इस जमीन में जाने वाले रास्ते की मुख्य सड़क 60 फिट व पास की सड़क 40 फिट व फैसेलिटी पास ट्रांसफार्मर व पानी की टंकी मोबाइल टॉवर सहित औपन लैंड भूमि व फैसेलिटी व अन्य योजना कहां गई विधायक द्वारा उल्टे सीधे काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी सिर्फ उन्होंने अपना बड़ा कमीशन लेने वह शहर के पूर्व विधायक द्वारा उल्टे सीधे काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना क्योंकि विधायक के खासमखास की गिनती में आते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक काम किया है की शहर का सत्यानाश कैसे हो वैसे कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान में हेरा फेरी करना क्योंकि इसी बंगलो के पीछे पास में वह



इनका क्या कहना है

शिवगंज नगर पालिका में जो उल्टा सीधा काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है वैसे ही भ्रष्टाचार करने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया शहर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 14 का सड़क 200 फीट छोड़ा है उसको 100 फीट का इन्होंने बताकर वह उनके कुछ टाइम पहले दो बड़े रिको फैक्ट्री जो कैसे पुराने नेशनल हाईवे नंबर 14 के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है सैकड़ों बिधा जमीन में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इन फैक्ट्री के बीच में होकर यह नेशनल हाईवे निकलता है वह सामने की तरफ एक बड़ी गौशाला है इन्होंने अपने कागजों के अंदर गौशाला न बताकर आशापुरा टाउनशिप बताना कितना फजीवाड़ा किया है वह यह जमीन रिको के बीच में आवासीय बताना एक तो औद्योगिक जमीन आवासीय में नहीं हो सकती वह उन्हीने फजीवाड़ा में कर दी क्योंकि विधायक इनका था मंत्री शांति धारीवाल इनका है जमीन रिको से आवासीय वह आवासीय में बंगलो की स्वीकृति आगे की तरफ वाणिज्य बताना कितना भ्रष्टाचार किया होगा इन लोगों ने इन सभी की जांच करवा कर इस प्रोजेक्ट को तुरंत रुकवाया जाए वह दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए तभी जाकर शिवगंज की जनता को न्याय मिलेगा वह इस में प्लॉट खरीदने वालों का जीवन को खतरों में डालने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इनके पास में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिसका प्रदूषण से इनके जीवन पर असर पड़ेगा वह कभी भी बड़ी जनहानी हो सकती है इसलिए इन सभी की निर्माण स्वीकृति खारिज कर वापस वहां पर फैक्ट्री लगवाई जाए व उद्योग विभाग ने रिको की जमीन को आवासीय योजना में बताकर दलालों के हाथों बिका हुआ लगता है उद्योग विभाग व अन्यथा हमें मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा

जैसारा माली अध्यक्ष जवाई पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज
शिवगंज से केसरपुरा रिको वह कामबेश्वरजी रोड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना व औद्योगिक फैक्ट्री के बीच में बड़ी प्लॉट योजना जो भगवान महादेव को बदनाम करने के लिए दोनों भगवान शिव के नाम से योजना इन लोगों ने चालू किया भगवान शिव के साथ धोखाधड़ी कर यह लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना मास्टर प्लान रिंग रोड के बीच में है वह औद्योगिक क्षेत्र के बीच में आवासीय प्रोजेक्ट काटना रिको से आवासीय में करना वह बंगलों की स्वीकृति देना मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकारी योजनाओं को अपने भावों से बेचना नेशनल हाईवे सड़क 200 फीट को 100 फीट बताकर आगे वाणिज्य बताना कितना गलत है वह इन सभी प्रोजेक्ट की जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए वह भगवान शिव के नाम से यह दोनों योजनाओं को खारिज करना चाहिए शिवगंज पट्टा सुधा प्लॉट व शिव लीला कामबेश्वरजी रोड एक रिको एक कामबेश्वरजी रोड पर इसके आगे भगवान श्री राम को बदनाम करने के लिए एक बड़ी योजना जो आवासीय रिको के प्लॉट काटकर बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए भगवान श्री राम और भगवान शिव को बदनाम करने वालों के खिलाफ राजस्थान सरकार वह गुलाब कोठारी के आदेशों के विपरीत कार्य किया है उन्हें खारिज करना चाहिए दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए

सीमा देवी माली पार्षद नगर पालिका शिवगंज
नगर पालिका जब से प्रशासन शहरों की और अभियान चालू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी इन्होंने बड़ी योजना वह मास्टर प्लान के विपरीत कार्य किए हैं उन सभी की जांच करवाई जाए पुराने नेशनल हाईवे नंबर 14 औद्योगिक क्षेत्र के बीच में आवासीय योजनाओं करना पर सामने गौशाला होते हुए भी यह आशापूर्णा टाउनशिप बताना जनता के साथ बड़ा धोखा कर रहा है भगवान शिव वह भगवान श्री राम को बदनाम करने वालों को शिवगंज शहर का सत्यानाश करने वालों का सपोर्ट देने वाले पूर्व विधायक नेताओं व अधिकारियों के बीच तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए दोषियों को जेल भेजना चाहिए वह इन तीनों प्रोजेक्ट को खारिज कर वहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इसलिए फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से लोगों का जीवन खतरों में पड़ेगा उसके भी कार्यवाही इनके ऊपर होनी चाहिए अब जल्दी दुकानों का निर्माण कैसे हो रही मास्टर प्लान में आवासीय है वाणिज्यिक कैसे हो गई ईस प्लान की जाँच होनी चाहिए और दोषीओ को जेल होनी चाहिए ।
कमलसिंह चौहान उद्यमी एवं समाजसेवी शिवगंज

